झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश सं॰– 8 / ज॰स॰नि॰देव –06 / 2008:– रांची, दिनांक:–

आदेश

श्री जलधर मण्डल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज द्वारा गुमानी मुख्य नहर पर पथीय सेतु के कार्य के मूल एकरारनामा के विरूद्ध बढ़ी हुई राशि के पूरक एकरारनामा करने संबंधी आरोप हेतु श्री मण्डल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री मण्डल को विभागीय आदेश ज्ञापांक 3016 दिनांक 09.04.14 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया:–

(1) निन्दन।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री मण्डल द्वारा विभाग में अपील आवेदन समर्पित की गई तथा विभागीय स्तर पर समीक्षा के कम में अपील में उठाये गये बिन्दूओं पर विचार करते हुए चेतावनी के दण्ड के प्रस्ताव पर माननीया विभागीय मंत्री महोदया के अनुमोदनोपरांत राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर विभाग द्वारा श्री मण्डल के विरूद्ध निम्न संशोधित दंड देने का निर्णय लिया गया:–

(1) चेतावनी।

3. उक्त कंडिका– 2 पर मंत्रिपरिषद, झारखण्ड की स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –

(डा॰ लम्बोदर महतो)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 3092 रांची, दिनांक:– 12-9-14

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, रांची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज / संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–01), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / श्री जलधर मण्डल, मुख्य अभियंता, मानव संसाधन विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/09/14

(डा॰ लम्बोदर महतो)

सरकार के उप सचिव।

11.9.14